उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई

यू0पी0 नीट– 2019 (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु) स्टेट कोटे की प्रथम काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन

स्थान– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) कार्यालय, प्रशासनिक भवन

तिथियॉं– महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार।

समय– प्रातः 09.00 बजे से 05.00 बजे तक

–: आवश्यक मूल अभिलेख : –

यू0पी0 नीट–2019 की काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करा चुके ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभिलेखों के सत्यापन के लिए नोडल सेन्टर उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई को चुना है, वह अभिलेखों के सत्यापन हेतु गठित समिति के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित मूल अभिलेखों एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित हों–

1. यू0पी0 यू0जी0 नीट– 2019 हेतु आनलाईन रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण का प्रिन्ट।
2. यू0जी0 नीट– 2019 का प्रवेश पत्र।
3. यू0जी0 नीट– 2019 का परिणाम/रैंक लेटर।
4. हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र।
6. आरक्षण के दावे से सम्बन्धित प्रमाण पत्र– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0 तथा यदि लागू हों, तो अन्य निम्न प्रमाण पत्र।
   - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री))। **प्रारूप UPFF**
   - भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री। **प्रारूप UPES**
   - एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट ('बी' ग्रेड सहित 'सी' सर्टीफिकेट)।
   - दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
7. पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ ड्राईविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट)।
8. स्वयं की 01 फोटो (जो प्रवेश पत्र पर चस्पा हों)।
9. समय–समय पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ द्वारा निर्गत किये जाने वाले अन्य निर्देश।

अति महत्वपूर्ण–

- **अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2019 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।**
- **भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। प्रारूप–1**
- **अन्य आरक्षण प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे।**
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इन्टर की परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें शासनादेश सं. 157/तीन–2003–77(11)/83 दिनांक 18.02.2003 में निहित व्यवस्था के अनुसार डोमीसाईल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। डोमीसाईल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल/डेंटल कालेज की स्टेट कोटे की सीटों की काउंसिलिग हेतु अर्ह नहीं होंगे। प्रारूप–2**

–: आवश्यक शुल्क : –

नीट यू0जी0–2019 की काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय निम्नानुसार धरोहर धनराशि (Security Money) का बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** देय लखनऊ (**Director General, Medical Education & Training, U.P.** payable at Lucknow only) के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य है।

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज की सीटों के लिए – रू.30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र)
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों के लिए – रू.2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र)
- निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीटों के लिए – रू.1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र)

महत्वपूर्ण–

- **अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया जाने वाला ड्राफ्ट दिनांक 19.06.2019 के बाद का निर्गत होना चाहिए।**
- **भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार Non-CTS Bank Draft अमान्य हैं। अतः राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी CTS Bank Draft मान्य होंगे।**
- **यदि कोई अभ्यर्थी रू. दो लाख का ड्राफ्ट जमा करता है, तो वह राजकीय एवं निजी क्षेत्र की एम.बी.बी.एस. एवं बी. डी.एस. सीटों हेतु अर्ह होंग।**
- **यदि कोई अभ्यर्थी रू. एक लाख का ड्राफ्ट जमा करता है, ता वह राजकीय क्षेत्र की एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की बी.डी.एस. सीटों हेतु अर्ह होंगे।**

प्रमाण–पत्र (UP FF)

दिनांक.....

संख्या.....

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केआश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी.....ग्राम .....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री(पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

स्थान .....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पद नाम.....

मोहर .....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर.....

जिलाधिकारी

(सील)

निर्धारित प्रारूप पर डिप्टीच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (UPES)

(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

संख्या..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....निवासी .....
ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय.....सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक.....
..... को सेवा निवृत्त हुए हैं या थे/ भारतीय सेना की सक्रिय सेवा काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।
वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री ..... भारतीय..... सेना की यूनिट..... .....में नियुक्त थे।

दिनांक

सेना की संबधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा
सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ..... दिनांक .....
दिनांक .....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....निवासी .....
....उपरोक्त श्री .... के पुत्र/पुत्री हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .....
दिनांक .....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा
सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम
युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता
थल/नभ/जल जो उपयुक्त हो, अभ्यर्थी का नाम
यूनिट की संख्या व पता

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

- दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों की सूची निम्नवत् है:-

1. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज एण्ड सफदरजंग हास्पिटल, अंसारी नगर, नई दिल्ली।
2. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन, मुम्बई।
3. इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता।
4. मद्रास मेडिकल कालेज, चैन्नई।
5. ग्रान्ट राजकीय मेडिकल कालेज, जे0जे0कम्पाउण्ड मुम्बई।
6. गोवा मेडिकल कालेज, गोवा।
7. राजकीय मेडिकल कालेज तिरूवन्तपुरम्, केरल।
8. एस0एम0एस0 मेडिकल कालेज, जयपुर।
9. राजकीय मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सेक्टर-32 चण्डीगढ़।
10. राजकीय मेडिकल कालेज, अगरतला, स्टेट डिसएबिलिटी बोर्ड, अगरतला।

प्रारूप-2

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पुत्र/पुत्री/पत्नी .....
मकान नंबर .....
मुहल्ला ..... थाना ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता .....
....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।